

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पत्र क्र. 9/1 दिनांक 15/05/17
शाखा. भू-अर्जन
सूरजपुर, दिनांक 11 MAY 2017
अधीनक

क्रमांक /
प्रति,

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
राजनांदगांव (छ.ग.),

विषय :- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2016-17, ग्राम-नवगई में अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) की अधिसूचना का प्रकाशन के सम्बन्ध में।

विषयांतर्गत भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) अधिसूचना तीन तीन प्रतियाँ संलग्न कर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशनार्थ भेजा जा रहा है। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन उपरांत प्रकाशन की सूचना इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

सही
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 687A / मु.लि. / 2017
प्रतिलिपि :-

सूरजपुर, दिनांक 08 मई 2017

1. कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा/एन.आई.सी. शाखा, जिला कार्यालय सूरजपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित। अधिसूचना की एक-एक प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया अधिसूचना को समुचित सरकार के वेब साइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।
2. तहसीलदार, सूरजपुर को अधिसूचना की प्रतियों सहित संबंधित ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय, अ.वि.अ. (रा.) कार्यालय, सूरजपुर के नोटिस बोर्ड में चस्पा कर प्रकाशन की जानकारी भेजने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)

**कार्यालय कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
प्रारंभिक अधिसूचना**

सूरजपुर, दिनांक 13/04/2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18 /अ-82/16-17 :: चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा-11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

--: अनुसूची :-

भूमि का प्रकार					धारा-12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सूरजपुर	सूरजपुर	नवगई प.ह.नं. 2	97/2	0.020	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग-सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)	नवगई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन
			106/1	0.036		
			106/2	0.012		
			112	0.012		
			102	0.032		
			104	0.077		
			101/4	0.012		
			101/5	0.085		
			97/3	0.020		
			95	0.101		
			96	0.032		
			218	0.041		
			220/2	0.061		
			220/1	0.061		
			219/1	0.040		
			219/2	0.008		
			217/1	0.073		
			231	0.049		
			230	0.053		
			228/4	0.016		
			242	0.008		
			243/1	0.016		
			229	0.081		
			236/1	0.012		
		योग :-	24	0.958		

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को

स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (संख्या 30 सन् 2013) के अध्याय दो एवं तीन के प्रावधानों के तहत सिंचाई परियोजनाओं की बावत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।

6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सूरजपुर, जिला-सूरजपुर को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन नियुक्त किया गया है।

भू-अर्जन अधिकारी
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर

छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.आर.चुरेन्द्र)
कलेक्टर,

जिला-सूरजपुर

एवं पदेन संयुक्त सचिव

छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग